: : कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर : :

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–ए/संविदा पर नियुक्ति/17 दिनांक :– 16/08/2017

समस्त उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा।

विषयः– व्याख्याता स्कूल शिक्षा, वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषय एंव तृतीय श्रैणी अध्यापक के रिक्त पदो पर सेवानिवृत शिक्षकों को संविदा पर लगाए जाने बाबत।

प्रसंगः– शासन के पत्रांक प.17(8)शिक्षा–2/2014 दिनांक 25.07.17

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के प्रासंगिक पत्र 25.07.17 के क्रम में लेख हैं कि शासन द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र एफ12(6)एफडी(रूल्स)/2009 दिनांक 01.12.15 द्वारा प्रदत शक्तियों के अनुसरण में व्याख्याता–स्कूल शिक्षा, वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय एंव तृतीय श्रैणी अध्यापक लेवल–I एंव लेवल–II के रिक्त पदो के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा(पेंशन) नियम–1996 के नियम–164 ए के अंतगर्त वर्तमान शैक्षिणिक सत्रांत अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, तक सेवानिवृत पात्र शिक्षकों की समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुर्ननियुक्ति पर सेवाऐं लिए जाने हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक–एफ17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 10.02.16 के अनुसार संलग्न पत्र में अंकित शर्तो के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की गई है।

संलग्न अनुसार निर्धारित बिन्दु संख्या 01 से 07 तक की शर्तो के अनुसार पालना सुनिश्चित कर सेवा निवृत शिक्षकों को रिक्त पदो पर संविदा पर लगाया जाना निर्धारित कर इस कार्यालय को की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

व्याख्याता स्कूल शिक्षा, वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषय एंव तृतीय श्रैणी अध्यापक के रिक्त पदो पर सेवानिवृत शिक्षकों को संविदा पर लगाए जाने हेतु निम्न दिशा निर्देशो के तहत कार्यवाही की जाए–

1 उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा एंव जिला शिक्षा अधिकारी के परिक्षेत्र के समस्त स्पष्ट रिक्त पदों पर संविदा शिक्षकों को लगाए जाने हेतु स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन कर स्वंय के कार्यालय की ई–मेल आईडी पर आवेदन पत्र प्राप्त किए जावें।

2 सेवानिवृत पात्र शिक्षकों की समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुर्ननियुक्ति हेतु कमेटी गठित कर आवेदकों की प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध स्थानों के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विद्यालय विकल्प के आधार पर शासन के पत्र 25.07.17 बिंदु सं0 03 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

3 आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों का रजिस्टर, मेल रिपोर्ट एंव प्रार्थी का आवेदन पत्र का संधारण किया जाए।

4 संविदा पर सेवानिवृत पुनर्नियुक्त शिक्षकों की प्रतिमाह पुनर्नियुक्त होने वालो की सूचना निम्नाकिंत प्रपत्र में संबंधित सूचना संकलित कर प्रतिमाह की 03 तारीख तक अनिवार्य रूप से अपने उपनिदेशक माशि को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्रम सं0	शिक्षक का नाम	जन्म तिथि	पद		विषय	विद्यालय का नाम	संविदा पर पुनर्नियुक्ति तिथि	वर्ग
			सेवानिवृति का पद	संविदा पुनर्नियुक्ति पद				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

www.rajteachers.com

5 राज्य सरकार के पत्र दिनांक 25.07.17 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.02.16 के अनुसार निर्धारित सामेकित पारिश्रमिक मानदेय व अन्य समस्त कार्यवाही सम्पादित की जानी सुनिश्चित करावें।

6 संविदा पर लगाये जाने की अवधि सत्रांत अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, दोनो में से जो भी पहले हो, तक संविदा पर पुनर्नियुक्ति दी जाये। इस हेतु दिनांक 28.08.2017 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र प्राप्त करके निम्नांकित कमेटी के माध्यम से चयन करेगें :–

1	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी	सदस्य
3	जिला मुख्यालय के उच्चतम विद्यालय का वरिष्ठतम प्राचार्य	सदस्य

संलग्नक–उपरोक्तानुसार(छायाप्रति 09)।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही एंव सुचनार्थ प्रेषित–

1. शासन उप सचिव ग्रुप–2 शिक्षा विभाग के पत्रांक 25.07.17 के कम में सूचनार्थ।
2. समस्त उपनिदेशक माशि को निर्देशित किया जाता हैं कि अपने कार्यालय परिक्षेत्र के समस्त जिला शिक्षा अधिकारीयों से बिंदु सं 04 में निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलित कर प्रतिमाह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से विभाग के एफ अनुभाग की मेल आईडी ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com